

## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली—110 001

Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

भारत में किसी स्थान / गृह नगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने का इरादा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेशगी स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र Application for the grant of advance to Got. Servant intending to avail of Leave Travel Concession for any place in India/Home Town.

1	पूरा नाम (साफ अक्षरो में) / Name (in block letters)			
2	पदनाम एवं संबद्ध अनुभाग का नाम			
	Designation & Section to which attached			
3	मूलवेतन / Basic Pay	रू0/Rs कर्मचारी सं0/Em	p.No	
4	केन्द्रीय सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि/Date of			
	first appointment in Central Govt./ICAR Services.			
5	क्या सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार से परिवीक्षा अवधि पर है ? यदि हां, तो ब्यौरा			
	दें/Whether the Govt. Servant is on probation from State			
	Govt, If so, state the details.			
6	स्वीकृत छुट्टी की प्रकृति एवं अवधि/Nature and period of leave			
	sanctioned.			
7	भ्रमण स्थान / Place to be visited			
8	निकटतम रेल स्टेशन/Nearest Railway Station			
9	गृह नगर (निरपवाद रूप से बताया जाए)			
	Home Town (to be indicated invariably)			
10	क्या यात्रा रियायत का पहले लाभ उठाया गया है, यदि हां तो बताएं :-	(i) ब्लॉक वर्ष/Block Year		
	Whether Travel Concession has been availed before, if so,	(ii) किस वर्ष में रियायत का लाभ उठाया	 गया / Year in	which
	State :-	concession availed	,	
11	किस ब्लाक वर्ष के लिए वर्तमान पेशगी का दावा किया जा रहा है			
	The block year for which the present advance is claimed.			
12	The block year for which the present advance is claimed. क्या यात्रा परिवार के साथ की जाएगी; यदि हां तो यात्रा एवं परिवार के सदस्यों का ब्यौरा	नाम/Name	उम्र(वर्ष)	संबंध
	(संबंध एवं कमानुसार उम्र, प्रस्थान एवं आगमन सहित अनंतिम तिथि) Whether	·	/	/
	journey is to be performed with family, if so, the details of		Age	Rel
	journey and family members (Relationship & respective		(Yr)	atio
	age including the tentative date of departure & Arrival.			nsh
				ip
13	यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं एवं परिवार सहित बहिर्याता अलग से करनी हो, तो			l .
13	कारण एवं सटीक तिथि/तिथियां बताए कि किस दिन बाहरी यात्रा प्रारंभ की जाएंगी।/ $\operatorname{If}$			
	the outward journey is to be performed separately by the			
	family and the Govt. Servant himself, state the reasons and			
	the exact date/s on which outward journeys by each are to			
	be commence.			
14	अपेक्षित पेशगी की रकम (ऐसी पेशगी की राशि प्रत्येक मामले में अनुमानित राशि की			
	9/10वीं तक सीमित होगी जिसकी सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी)			
	The amount of advance required (the amount of such			
	advance in each case will be limited to 9/10 of the			
	estimated amount which Govt. would have to (reimburse).			
15	वास्तविक रेल श्रेणी की सुविधा जिसमें आवेदक तथा उसके परिवार के सदस्य यात्रा करना			
	चाहते हैं/The actual railway class of accommodation in which			
	journey are to be performed by the applicant and his/her			
	family members.			
16	क्या स्थायी हैं या अस्थायी / यदि अस्थायी हो तो जमानती का पदनाम			
	Whether permanent or Temporary. If Temporary, state			
	cosone soot deviousuon or the <b>stirety</b>	•		

आवेदक का हस्ताक्षर / Signature of the applicant
पदनाम / Designation
अनुभाग, टेलीफोन सं0 / Telephone No
तारीख / Date
मेरी सर्वाधिक जानकारी के अनुसार मैं,पतदद्वारा प्रमाणित
करता हूं कि (क) उपरोक्त तथ्य वास्तविक एवं सही है तथा (ख) बहिर्यात्रा पेशगी स्वीकृति की तिथि से 60 दिन के भीतर
की जाएँगी ऐसा न करने पर पेशगी की रकम तुरन्त वापस कर दी जाएगी (ग) मैं स्वयं एवं मेरे परिवार के सदस्य
उपरोक्त बताये गए श्रेणी की सुविधा में यात्रा करेंगे तथा किसी भी स्थिति में निम्नंतर श्रेणी से नहीं तथा (घ) मैं छुट्र्ट
से वापस आते ही तुरंत वापसी यात्रा की समाप्ति की तिथि से एक मास के भीतर रसीद सहित समायोजन बिल प्रस्तुत
कर्रुगा।
I,hereby certify that (a) the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge, (b) the outward journey will be performed within 60 days of grant of advance <u>failing which advance will be refunded immediately</u> , (c) the family members and myself will travel in the class of accommodation as stated above and not in lower class under any circumstances and (d) I will submit the adjustment LTC Bill together with money receipt immediately after my return from leave and not later than one month from the date of completion of return journey.
मैं पेशगी लेने के दस दिन के भीतर रेलवे / बस टिकट रोकड—। अनुभाग में इस तथ्य के समर्थन में प्रस्तुत करूंगा कि मैंने वास्तव में टिकट खरीदा है। I shall produce railway/bus tickets within ten days of the drawl of advance to Cash-I Section in suppor the fact that I have actually utilized the amount for the purchase of tickets.
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता / माता / अभिभावक पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हैं और मेरे साथ रह रहे हैं तथा उनकी मासिक आय रू० 1500 / — से कम है। Certified that my father/mother/parent is/are wholly dependent on me, and is/are residing with me and his/their monthly income is less than Rs. 1500/
आवेदक के हस्ताक्षर./Signature of the Applicant
पदनाम / Designation
तारीख / Date

महत्वपूर्ण : यदि पेशगी जाने एवं वापस आने दोनों यात्राओं के लिए ली गयी थी तथा बाद में यह पता चले कि मुख्यालय से अनुपस्थिति की अविध नब्बे दिनों की तीन माह की अविध से अधिक होने की संभावना है तो छुट्टी यात्रा रियायत पेशगी की आधी धनराशि तुरंत सरकार को लौटानी होगी।

**Important:** Whether an advance has been drawn for both the forward and return journey and later it becomes clear that the period of absence from Headquarter is likely to exceed theere months of ninety days, one half of the LTC advance **should be refunded to Government forthwith.** 

**दृष्टव्यः** यह सुविधा गृहनगर रियायत के बदले दो वर्ष के एक ब्लॉक के लिए दी जाती है।

This concession is in liew of Home Town concession for one block of two years.

यदि यात्रा राज्य स्वामित्व वाली बसों / राज्य पर्यटन वसों द्वारा यात्रा न की गई हो तो किसी दूसरे बस का किराया स्वीकार्य नहीं होगा। दावा के साथ मूल बस टिकट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

No Bus Fare is admissible if the journey have not been undertaken by state owned buses/state Tourism buses. The original bus tickets are produced with the claim, compulsorily.



## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली—110 001 Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

## रोकड़ अनुभाग— |/Cash-I Section सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र :-CERTIFICATE TO BE GIVEN BY A GOVERNMENT SERVANT

1.	मैंने 200से 200तक के दो ब्लाक वर्ष में स्वयं के लिए और न अपने परिवार के लिए किर्स		
	यात्रा अवकाश रियायत का दावा पेश नहीं किया है।		
	I have not submitted any other claim so far for leave travel concession in respect of myself or my family members in respect of the block of two years and		
2.	मैंने स्वयं के लिए / अपनी पत्नी वबच्चो के लिए अग्रिम टी.ए. (यात्रा भत्ता) व अवकाश यात्र रियायत पहले से ही ले ली है। इस दावे के अंतर्गत मैंने / मेरी पत्नी व मेरे बच्चो में से किसी ने भी आरंभिक अवसर में यात्र नहीं की।		
	I have already drawn Travelling Allowance Advance for ther Leave Travel Concession in respect of a journey performed by me/my wife with children. This claim is in respect of the journey performed by my wife/myself with children none of whom travelled with the part on the earlier occasion.		
3.	घोषित या जाता है कि मुझे/मेरी पत्नी औरबच्चों सहित गृह/नगरसेसेतक भारत में किसी स्थान पर यात्रा करने की रियायत दी जाती है।  That journey has been performed by me/my wife with children to the declared "Home Town" viz on to if the concesssion availed of i.e. for any place in India.		
4.	कि मेरा पति / पत्नी सरकारी नौकरी में नहीं है और मेरा पित / पत्नी सरकारी सेवा में नही है और उसके / उनके द्वार किसी भी प्रकार का कोई रियायत, अलग से नहीं लिया गया है और ब्लाक कलैण्डर वर्ष दो / चार में उनके / उसव और पिरवार संबंधित सदस्य ने कोई रियायत नहीं ली है।  That my husband/wife is not employed in Govt. Service or that my husband/wife is employed in Govt. Service an the concession has not been availed of by him/her separated, for himself/herself or for any member of the family for the concerned block of two/four calender year.		
5.	मैंने एक्सप्रैस / मेल से यात्रा की। I travelled by Express/Mail.		
6.	मैंने मानकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली के अंतर्गत सड़क मार्ग से बस यात्र की। I travelled the road portion by bus in a recognised public transport system.		
	जो लागू न हो उसे काट दें/Delete which is not applicable पैरा 1(6) का एम एच ए ओ एम सं0 (रिक्त)/Para 1(6) of MHA O.M. No. NIL.		
	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर		
दिनांक/1	/Signature of Govt. Servant		
	किया जाता है कि /Certified that :-		
ત્ર <del>ન</del> ાાગત 1.	श्री / श्रीमती / कुमारीने अपने / गृह / नगर अथवा भारत के किसी स्थान में यात्र		
	करने की आरंभिक तिथि से एक वर्ष या इससे अधिक लगातार सेवा की है।		
	Sh./Smt./Kumari has rendered continued service for one year or more on the date o commencement of his/her outward journey to home town or any place in India.		
2.	एम एच ए ओ एम सं० ४३/१/५५ स्थापना (क) पैरा—(पैरा) के अंतर्गत ११ अक्टूबर, १९५६ श्री/श्रीमति/कुमारी की सेवा पुस्तिका में पैरा २ की आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।		
	Necessary entries as required under para 3 of the MHA OM No. 43/1/55-Ests.(A) para II dated the 11th October, 1956 have been made in the service book of Sh./Smt./Kumari		
	पैरा 11(6) एम एच ए ओ एम/Para 1(6) of MHA O.M. No. NIL.		
<u> </u>			
।दन क/I	eated		